

दुर्गा पूजा / मुहर्रम - 2017

27 दसंबर 2017

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,

महाराष्ट्र सरकार
बनाम

खूँटी

(1)

M-84/2017 आदेश पत्रक

अमित जयसवाल कीर

20/9/17

अभिलेख संख्या :- एम. 84 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी तीरपा के अप्राथमिकी संख्या :- 4/17

813
20/9/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द 0 प्र 0 स 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 26/9/17 को उपस्थापित करें ।

means
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

12 विपरी अनुपान, पत्रांक- 9/1/18 का
22वें

7/1/18 विपरी अनुपान, पत्रांक- 19/1/18 का 22वें

19/1/18 विपरी अनुपान, पुनः दिनांक- 6/2/18 का
22वें ।

6/2/18 विपरी अनुपान, पत्रांक- 10/2/18 का
22वें

10/2/18 दुर्गा पूजा / मुहूर्तम 2017 शोभा पूर्ण हंग से सम्पन्न
हुआ । दिनांक- 10/2/18 के राष्ट्रीय लोक अहलता
में इस वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती
है ।

[Signature]
10.2.18

10/02/2018
Dohu

10.2.18

